संख्या-21/2015/738/60-1-15-1/3(16)/15

प्रेषक,

नन्द लाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक 27 मई , 2015

विषय:- अनुदान संख्या-49 के अन्तगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में उ0प्र0 राज्य बालक अधिकार सरंक्षण आयोग की स्थापना हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-204-06/निदे0म0क0/लेखा-बजट/2015-16, दिनांक 25.05.2015 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 41965 हजार (रू0 चार करोड उन्नीस लाख पैसठ हजार मात्र) जिसका मदवार विवरण सलंग्न है, को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में जो व्यय किया जाय वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुवल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

7- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

8- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-49 के आयोजनेत्तर पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9- यह धनराशि अविलम्ब मुख्यालय/जनपद स्तरीय अधिकारियों के निर्वतन पर वर्ष 2015-16 के व्यय/आहरण हेतु आवंटित कर दिया जाय।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों के संबंध में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-21/2015/738(1)/60-1-15, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक स्थानीय निकाय,निधि लेखा,उ0प्र0 सिविल लाइन्स इलाहाबाद।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी ,उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
8- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य बालक अधिकार सरक्षण आयोग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-21/2015/738/ 60-1-15-1/3 (16)/15, दिनांक 27 मई, 2015 का संलग्नक

(धनराशि रू0 हजार में)

लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधनित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
अनुदान सं0-49 अयोजनागत 2235-समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 15-बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की स्थापना	01-वेतन	14000	10200
	03-मंहगाई भत्ता	16800	16800
	04-यात्रा व्यय	150	150
	06- अन्य भत्ते	2600	2600
	07-मानदेय	0	0
	08-कार्यालय व्यय	950	950
	09-विधुत देय	550	550
	10-जलकरजल प्रभार	25	25
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	540	540
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	950	950
	13-टेलीफोन पर व्यय	250	250
	14-स्टाफ कार एवं अन्य मोटर का क्रय	2500	2500
	15-गाडियों का अनुरक्षण ओर पेट्रोल आदि की खरीद	950	950
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिये भुगतान	2500	2500
	17-किराया उपशुल्क	1200	1200
	26-मशीन साज सज्जा	285	285
	42-अन्य व्यय	500	500
	45-अवकाश यात्रा	15	15
	46-कम्पयूटर हार्डवेयर साफटवेयर का क्रय	550	550
	47-कप्यूटर अनुरक्षणतत्सम्बनधी स्टेशनरी का क्रय	450	450
	योग	45765	41965

(चार करोड उन्नीस लाख पैसठ हजार मात्र)

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in